विचार बिन्दु

जो गरीबों पर दया करता है, वह अपने कार्य से ईश्वर को ऋणी बनाता है। –बाइबल

सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 की वैधानिकता पर सुनवाई प्रारंभ

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की धारा 1(2) के अनुसार अनुसार भारत सरकार ने दिनांक 08.04.2025 से इस अधिनियम को देश में लागू कर दिया है। यह अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई है।

यह अधिनियम 2025 को संसद द्वारा दिनांक 04.04.2025 को पारित किया था और उसे भारत के राष्ट्रपति ने दिनांक 05.04.2025 को स्वीकृति (Assent) प्रदान की थी।

इस वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिकता को 100 से अधिक रिट् याचिकाओं में चुनौती दी गई है। 6 राज्यों ने इसे संवैधानिक माना है।

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 में यह कहा गया है कि इसके प्रावधान 20 करोड़ मुसलमानों के अधिकारों को प्रभावित करते हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी याचिका में इस वक्फ अधिनियम को Religious Autonomy पर असंवैधानिक Assault की संज्ञा दी है। एक अन्य पिटीशन में यह भी कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय को स्वत: भी उस कानून को निरस्त करने का अधिकार हैं जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को खंडित करते हैं। यह भी प्रश्न उठाया है कि क्या पूर्ववर्ती मान्य नजीरों के विरूद्ध हैं? एक अन्य पिटीशन में चुनौती का आधार यह कहा गया है कि इससे Muslim Community अपनी ही सम्पत्ति से बेदखल कर दी जावेगी। यह पिटीशन केरल Islamic Clerics Body की पिटीशन में कहा गया है। दिल्ली के आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान ने अधिनियम को उपबन्धों की वैधानिक चुनौती दी। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस अधिनियम की वैधानिकता को संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 26, 29, 30 के विरूद्ध होने के कारण इसे चुनौती दी गई है। सब समान हैं, यह संविधान का सार है; परन्तु कुछ पिटीशनर का कहना है कि समानता है इस अधिकार को गोंण कर दिया है। Right to Manage the Religious Affairs का आधारभूत उद्घोष जो Article 26 में है उनका स्पष्ट अतिरेक हुआ है। अधिकांश पिटीशनस् में यह कहा गया है Muslim Community के साथ भेदभाव का यह अभूतपूर्व ऐतिहासिक घटना चक्र है।

दिनांक 16.04.2025 के आदेश से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की वैधानिकता को चुनौदी देने वाली 9 पिटीशनस् की सुनवाई के हेतु सूचीबद्ध किया है। इसकी सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय संजीव खन्ना, जस्टिस के वी विश्वनाथन व जस्टिस संजय कुमार की खण्डपीठ करेगी। उक्त 9 पिटीशनस् में वे पिटीशन्स हैं जिनमें एआईएमआईएम एमपी असादुद्दीन ओवैसी, दिल्ली आप एमएलए अमानातुल्लाह खान, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, जमियत उलेमा–ए–हिन्द प्रेसीडेन्ट अर्सशद मदानी, समस्थ केरल जमियत उलेमा, अन्जुम कादरी, तइय्यर खां सलमानी, मोहम्मद शमी, मोहम्मद फजलुर्रहीम आदि हैं। इनका शीर्षक है असादुद्दीन ओवैसी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया WP (C) No. 209/2025 में ये कनेक्टेड मेटर्स हैं।

अभी तक जो पिटीशनस् प्रस्तुत हुई हैं उनमें निम्नलिखित आपत्तियां वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की वैधता और संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। कुछ पिटीशनस् ऐसी भी हैं, जिनमें यह कहा गया है कि संशोधन अधिनियम, 2025 में तामिलनाडु के 50 लाख मुसलमानों व 20 करोड़ उन मुसलमानों के अधिकार कंठित हो रहे हैं जो देश के अन्य भागों में रहते हैं अत: तामिलनाडु असेम्बली ने यह प्रार्थना भारत सरकार से की है कि कानून को विद्ड्रो किया जावे। कुछ का तो यह भी कहना है कि वक्फ संशोधन बिल की वैधानिकता के बावत पर्याप्त सुनवाई का अवसर न तो जेपीसी ने दिया और न ही संसद ने दिया है। जम्मू–कश्मीर विधानसभा में जो हंगामा हुआ है उससे स्पष्ट है। राज्य की राजनीति केन्द्र की राजनीति को चुनौती देने जा रही है। धर्म राजनीति पर हावी होने जा रहा है।

एक ओर भाजपा ने देश भर में गांव से लेकर शहर, चौड़ी सड़क से लेकर सकड़ी गली में भी जन जागृति आन्दोलन की घोषणा की है तो दूसरी ओर आल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश व्यापी आन्दोलन करने की घोषणा की है। बोर्ड देश भर में प्रचार करेगा कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 इस्लामिक परम्परा, धार्मिक स्वतंत्रता तथा धार्मिक संस्थाओं की स्वायत्तता पर अक्रमण है, जिसे रोका जावे। दोनों समुदायों का यह आन्दोलन कब क्या विकट रूप ले ले कहना कठिन है।

कानून रूप से जो वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को चुनौती दी गई हैं, वे संक्षेप में इस प्रकार हैं:–

1) वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19, 21, 26, 300ए के विरूद्ध होने से असंवैधानिक हैं।

2) जान बूझकर मुस्लिम कॉम्यूनिटी को अपनी ही सम्पत्ति के प्रयोग से, उसके प्रबन्ध से रोका गया है। वक्फ के सामान्य शाब्दिक अर्थ के विपरीत, यह प्रयास किया गया है, कौन सम्पत्ति डोनेट कर सकता है। प्रश्न उठाया गया है भारतीय न्यायिक जुडिशियरी द्वारा स्थापित प्रक्रिया Waqf by user को समाप्त किये जाने के हेतु ही वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 लाया गया है।

3) कुछ पिटीशनर्स का कथन है कि वक्फ बिल की प्रक्रिया में जेपीसी ने सभी मान्य Parliamentary Procedure का उल्लंघन किया गया है। जेपीसी ने आपत्तिकर्त्ताओं को सुनवाई का पूरा अवसर नहीं दिया और प्राकृति न्याय के सिद्धान्तों का ब्रीच हुआ है। महुआ मोइत्रा एमपी की पिटीशन में इस बावत विशद चर्चा है और आपत्ति की है कि सही प्रक्रिया न अपनाने से भारत के नागरिकों को न्याय नहीं मिल पाया है।

4) नये संशोधित (Amended) लॉ ने वक्फ संस्थाओं की स्थापना के सिद्धान्तों को ही समाप्त कर दिया है। वक्फ कमेटी के पूरे अधिकार ही सरकार ने अपने कब्जे में ले लिये हैं, जिससे वक्फ के लोकतांत्रिक प्रबन्ध का अधिकार ही मुस्लिम धर्म के अनुयायियों का खण्डित हो गया है।

कानून के विद्वानों से प्रार्थना है कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अधिक से अधिक लोग अपना-अपना कानूनी पक्ष रखें जिससे भारत की गंगा-जमुनी सभ्यता को जनहित में प्रगति और विकास की ओर तीव्र गति से बढ़ाया जा सके तथा भारत धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य सही अर्थों में बना रहे।

5) यह भी आपत्ति है कि इस अधिनियम 2025 के द्वारा Scheduled Tribe (अनुसूचित जनजाति) के मूल अधिकारों का गौंण किया गया है। यह मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है।

6) वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के नये प्रावधान Arbitrary हैं, निरंकुश हैं, अमान्य हैं और अवैध हैं।

7) वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 लगभग 20 करोड़ मुस्लिमस के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव डाल रहा है।

8) वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 मुस्लिम बन्धुओं की Religious Atonomy पर Unconstitutional Assault है।

9) वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 स्पष्टत: माननीय सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों में जो सिद्धान्त पारित किये हैं, उनका उल्लंघन करते हैं।

10) Non Muslim को सेन्टर वक्फ कौन्सिल व बोर्ड ऑफ वक्फ में शामिल करना स्पष्ट रूप से इंगित करता है हम Secular राष्ट्र नहीं हैं और हम अपने ही भाईयों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 व 27 का यह स्पष्ट उल्लंघन है।

11) यह अधिनियम Islamic Sariat के सिद्धान्त के विपरीत होने से अमान्य है।

12) वक्फ के डोनर के लिये 5 वर्ष का मुस्लिम धर्म मानने वाला प्रावधान, समानता के अधिकार का अर्थात् अनुच्छेद 14 का स्पष्ट उल्लंघन है।

देश में इस समय कई स्थानों पर तोड़फोड़, आगजनी व पुलिस पर आक्रमण की घटनायें हो रही हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश ने राज्य में बिगडते हुये हालात को देखते हुये केन्द्रीय बलों की तत्काल तैनाती की अपील की है। वक्फ संशोधन विधेयक के अतिरिक्त शायद ही अन्य विषय इन दिनों चर्चा का विषय रहा हो।

रामजन्म भूमि के केस में धार्मिक पूजा स्थल के कानून को सुप्रीम कोर्ट ने नई दिशा दी है। भाजपा का मानना है कि वक्फ संशोधन विधेयक भी धर्म निरपेक्ष देश का कानून है। यह प्रचार हो रहा है कि यह कानून शोषण के विरूद्ध है। यह भी कहा जा रहा है कि गरीबों को इससे न्याय मिलेगा। वक्फ कानून में जो संशोधन हुये हैं, उससे पारदर्शिता आयेगा। सम्पत्ति का दुरूपयोग रूकेगा। यह राज्यों का विषय है। वक्फ एक्ट में बोर्ड के असीमित अधिकार दिये गये थे जिनके तहत् मंदिरों और पूरे गांवों की जमीन ही वक्फ सम्पत्ति रेकार्ड की गई है। राज्य कह रहे हैं इन सम्पत्तियों की राशि से गरीब मुसलमानों, विधवाओं और अनाथ बच्चों के कल्याण पर खर्च किये जायेंगे। वक्फ का जो अभिप्राय था पूरा किया जावेगा। वक्फ कानून का अभिप्राय भी यही था कि अचल सम्पत्ति को समाज दान करे और इसके माध्यम से इस्लाम के मानने वाले इसकी धार्मिक व पावित्र भावना को साकारता प्रदान करे। नये कानून का अभिप्राय भी यही है गरीब व विकलांगो की मदद हो ट्रस्ट प्रोपर्टी का सुप्रबन्ध हो सके।

देश का कानून सदैव ही स्पष्ट रहा है कि सिविल कोर्ट का सुनवाई का अधिकार क्षेत्र सदैव जीवित रहेगा, उसे छीना नहीं जा सकता। सन 1940 प्रीबी कौन्सिल ने मास्क एण्ड कम्पनी के केस में यह निर्णय दिया गया कि प्राकृति न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध यदि न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) और बोर्ड पक्षकर को बिना सुने निर्णय देवे तो निर्णय को निर्णय नहीं कहा जावेगा व अवैध होगा। इस निर्णय की सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की है। संविधान लागू होने के बाद देश की जुडिशियरी, सरकार से अलग हुई। किन्तु वक्फ एक्ट में ट्रिव्यूनल के फैसले की अपील निषेध की गई थी। जबकि वक्फ संशोधन विधेयक सभी को न्याय का वायदा करता है।

ऐसे भी देश के नागरिक हैं जो यह मानते हैं कि वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 वस्तुत: संवैधानिक है और पूर्ववर्ती वक्फ अधिनियम, 1923 को तथा वक्फ एक्ट 1995 को व्यर्थ हो चुका कानून मानते हैं। इसी प्रकार वे मानते हैं कि वक्फ एक्ट भी अब अव्यवहारिक है और संविधान की कसौटी पर खरे नहीं है। वक्फ अधिनियम की धारा 54 व 55 में वक्फ सम्पत्तियों से अतिक्रमणकारियों को हटाने का अधिकार वक्फ बोर्ड को दिया है, जबकि ऐसा समान अधिकार अन्य धर्म के ट्रस्ट, मंदिर, मठ को संचालित करने वाले ट्रस्टियों, मैनेजरों को नहीं है अर्थात् भेदभाव पूर्ण व्यवहार का यह जीवन्त उदाहरण है और ऐसे प्रावधान असंवैधानिक हैं। इस प्राकर इन लोगों का मानना है कि वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 ने जिन वक्फ अधिनियमों को रिपील किया है वे सभी असंवैधानिक थे, न केवल समानता के प्रतिकूल होने के कारण अपितु अन्य कई कारणों से जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है। अत: ये लोग जिन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 की वैधानिकता को चुनौती दी है उसके विरोध में वे अपनी नई रिट् याचिका में अन्य पूर्ववर्ती सभी वक्फ एक्ट को असंवैधानिक, अवैध, अव्यवहारिक तथा अमान्य मानकर अपना केस सुप्रीम कोर्ट में रख रहे हैं और रख सकते हैं।

देश के 6 राज्यों ने, जिनमें स्टेट ऑफ आसाम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखण्ड, हरियाणा तथा महाराष्ट्र हैं उन्होंने सुनवाई की 16.04.2025 की तारीख से पूर्व पूर्ववर्ती याचिका 284/2025 में जिसे ऑल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने दायर की है में हस्तक्षेप करने व पक्षकार बनने की Intervention Petition दायर की है। सभी राज्यों ने नये कानून का समर्थन किया है, उसे संवैधानिक व Non-discriminatory माना है।

माननीय सुप्रीम कोर्ट पक्ष व विपक्ष से वाद प्रतिवाद लेकर सभी याचिकाओं का निस्तारण शीघ्रता से करना चाहती है। कुछ याचिकाकर्त्ता अपेक्षा कर रहे हैं कि नया वक्फ संविधान अधिनियम, 2025 जो देश में लागू हो चुका है, उसके क्रियान्वय को रोका जावे और दूसरा पक्ष चाहता है कि अतिक्रमण की गई तथाकथित वक्फ सम्पत्तियों को गरीब मुसलमान, विधवाओं तथा जिसके भी पास छत नहीं है, ऐसे मुसलमानों को सभी आवश्यक सुविधायें दी जावें ताकि वे भी गरिमा के साथ जी सकें।

कानून के विद्वानों से प्रार्थना है कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अधिक से अधिक लोग अपना अपना कानूनी पक्ष रखें जिससे भारत की गंगा जमुनी सभ्यता को जनहित में प्रगति और विकास की ओर तीव्र गति से बढ़ाया जा सके तथा भारत धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य सही अर्थों में बना रहे।

नोट:– दिनांक 16 और 17 अप्रैल को अन्तिरिम आदेश पर बहस सुनी गई। सरकार ने 7 दिन का समय मांगा और कहा कि कोई परिवर्तन वक्फ में नहीं होगा। न्यायालय ने यह अन्तरिम आदेश दिया कि सरकार के जवाब दावे तक कोई परिवर्तन वक्फ में नहीं होगा यानि यथा स्थिति बनी रहेगी।

सबको सन्मति दे भगवान!

–अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

क्यों गिरे गेहूं के दाम?

रामपाल जाट

सरकार ने गेहूं खरीद का लक्ष्य वर्ष 2025–26 के लिए 310 लाख टन का निश्चित किया है। वही गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे गेहूं उत्पादक राज्यों में गेहूं का बाजार भाव 2725 से लेकर 2800 रुपए प्रति क्विंटल है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पंजाब में 125 रुपए, मध्य प्रदेश में 175 रुपए, तथा राजस्थान में 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस घोषित किए जाने के उपरांत भी सरकारी खरीद मूल्य की अपेक्षा बाजार भाव अधिक है। गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सरकारों ने बोनस घोषित नहीं किया है। देश में प्रतिवर्ष सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के लिए लगभग 200 लाख टन गेहूं की आवश्यकता होती है। बाजार को नियंत्रित रखने के प्रयोजन से भी भारतीय खाद्य निगम और राज्यों के द्वारा गेहूं की खरीद की जाती है।

देश के भंडारण में 15 मार्च तक 130 लाख टन गेहूं जमा होने से संकट का आभास नहीं हो रहा है। किंतु वर्ष 2024–25 में 3.2 करोड़ टन के लक्ष्य के विपरीत गेहूं की खरीद 2.66 करोड़ टन तथा वर्ष 2023–24 में लक्ष्य 3.41 करोड़ टन की तुलना में 2.62 करोड़ टन की ही खरीद होने से सरकार चिंताग्रस्त दिखाई दे रही है। यद्यपि गेहूं की सरकारी खरीद 11 राज्यों में होगी किंतु कुल खरीद का 70 प्रतिशत पंजाब और हरियाणा से ही पूरा होता है। वर्तमान विपणन वर्ष में पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में खरीद चालू है।

इसके लिए अभी तक 17,50,000 किसानों ने पंजीकरण कराया है। बाजार भावों के ऊंचा रहने के कारण किसानों का सरकारी खरीद केन्द्रों तक पहुंचना संशय का विषय बना हुआ है। यदि घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से बाजार भाव सौ रुपए प्रति क्विंटल भी कम रहते हैं तो पंजाब एवं हरियाणा के अतिरिक्त अन्य राज्यों में किसानों द्वारा गेहूं विक्रय हेतु बाजार को प्राथमिकता दी जाती है, वे सरकारी खरीद केन्द्रों के मायाजाल से सहमें से रहते हैं। सरकारी भंडारण की लक्ष्यपूर्ति के लिए किसानों को ही विवश कर सरकार गेहूं खरीदना चाहती है। यह स्थिति तो तब है जब सरकार को खुले बाजार में प्रतियोगी के रूप में भंडारण के लक्ष्य पूर्ति का विकल्प विद्यमान है।

पिछले दो वर्षों में संपूर्ण उत्तर प्रदेश में व्यापारियों ने गांव–गांव जाकर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य देकर गेहूं खरीदा था। इससे किसानों को लाभ हुआ और सरकारी केन्द्रो का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। इसी को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दामों पर गेहूं खरीद को रोकने के लिए व्यापारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसके लिए कलेक्टर कार्यालय की ओर से खाद्य एवं नागरिकआपूर्ति, खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों का तहसीलवार दल गठित किया गया है, जो प्रतिदिन खरीद एवं भंडारण के लिए छापेमारी कर जांच करेगा। इसी हेतु से व्यापारियों के लिए गेहूं खरीदने एवं भंडारण की सीमा निर्धारित कर दी गई है। जिससे व्यापारी गेहूं का भाव भी न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक नहीं रख सकेंगे।

घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिकतम नहीं है बल्कि न्यूनतम है। परिणाम स्वरूप कभी–कभी कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम प्राप्त हो जाते है, उन्हें रोकने के लिए ये उदाहरण बन सकेंगे। मध्य प्रदेश के जिला कलेक्टर राजगढ़ ने भी सरकारी उपार्जन व्यवस्था से हटकर सीधे व्यापारियों को गेहूं विक्रय रोकने के लिए कालातीत वसूली को आधार बनाया है। व्यापारियों के माध्यम से ऋण वसूली का अभियान चलेगा। इसीलिए व्यापारियों को कृषि उपज मंडियों के माध्यम से कालातीत ऋण वाले किसानों की सूची उपलब्ध कराने हेतु सहकारी बैंकों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। व्यापारियों द्वारा सहयोग नहीं करने पर उनके अनुज्ञा पत्र निरस्त करने का भी आदेश दिया है। इसी आदेश में व्यापारियों को पंजीयन के बिना मंडियों से गेहूं बाहर भेजना एवं अन्य राज्यों से जिले में गेहूं की आवक को रोकने का भी आदेश दिया गया है।

इसी दिशा में राजस्थान में भी किसानों द्वारा व्यापारियों को गेहूं बेचने से रोकने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के संबंध में गेहूं के उचित औसत गुणवत्ता मानकों में छूट देने का आकर्षण दिया गया है। जिसमें अपरिपक्व एवं टूटे – सिकुड़े दानों की अधिकतम सीमा 6 से बढ़ाकर 20 प्रतिशत तथा चमक विहीन गेहूं की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत तक कर दी गई है। जबकि इस वर्ष राजस्थान में उत्पादित गेहूं अन्य वर्षो की तुलना में अच्छा है।

एक ओर तो सरकार किसानों को उनके उत्पादों के लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए किसानों को उनके उत्पाद जहां भी अधिक मूल्य मिले वहां विक्रय करने को प्रोत्साहित करने की संसद में घोषणा करती है, दूसरी ओर गेहूं के अधिक दाम देने से रोकने के लिए नीति बनाकर दिशानिर्देश देती है। सरकारें किसानों को उनके उत्पादों के लाभकारी मूल्य दिलाने में रुचि एवं उत्साह नहीं दर्शाती है बल्कि किसानों को उनके उत्पादों के उचित मूल्य से भी वंचित रखती है। तब भी सरकार किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने की घोषणा करने से अघाती नहीं है।

दूध का जला छाछ को भी फूंक–फूंक कर पीता है। इस मुहावरे को चरितार्थ करने वाली 57 वर्ष पूर्व की नीति का स्मरण सिहरन उत्पन्न करता है। वर्ष 1968 में हरित क्रांति के बाद भारत सरकार ने सरकारी नियंत्रण के अधीन खाद्यान्न का बड़ा भंडारण निर्मित करने का निर्णय लिया था। उस समय देश में खाद्यान्न का उत्पादन 12 लाख टन था, जो देश की आवश्यकता से कम था। उस समय विदेशो से गेहूं आयात किया जा रहा था। पी एल 480 का समझौता भी इस अवधि में किया गया था। आयात पर निर्भरता कम करने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निरंतरता बनाए रखने को आधार बनाकर भंडारण के लक्ष्य की पूर्ति हेतु उत्पादकों पर पार्सल ग्रेडेड अधिग्रहण मूल्य का वज्रपात हुआ, जिसे प्रचलित भाषा में लेवी के नाम से जाना गया। इसमें पहले तो गेहूं जैसे खाद्यान्नों के संबंध में खुले बाजार की अपेक्षा सरकार के लिए पूर्व क्रयाधिकार की व्यवस्था की गई थी, जिसकी खरीद सरकार स्वयं या भारतीय खाद्य निगम द्वारा करना निश्चित किया गया। निजी व्यापारियों से प्रतियोगिता में बढ़त लेने के लिए अग्रिम संविदा के रूप में किसानों को रासायनिक खाद पर ऋण एवं नकद ऋण के द्वारा भारतीय खाद्य निगम ने खरीद की थी। इसके अतिरिक्त खुले बाजार में नीलामी के द्वारा निर्धारित मूल्य पर खरीद की गई थी, बाद में सरकार द्वारा ही खरीद मूल्य का निर्धारण कर दिया गया। इसी क्रम में सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर लेवी के रूप में किसानों से बलात् खाद्यान्न वसूली आरंभ कर दी गई।

सामान्यतया सरकार द्वारा लेवी के लिए निर्धारित दरों से बाजार की प्रचलित दरें अधिक थी। इसलिए सरकार ने लेवी को ही करारोपण की भांति किसानों पर लाद दिया। इस व्यवस्था के कारण अनेकों अवसरों पर किसानों को लेवी चुकाने के लिए बाजार की प्रचलित दरों के आधार पर अधिक मूल्य चुकाकर खाद्यान्न खरीदना पड़ता था।

इससे 'कंगाली में आटा गीला' की कहावत सच हो रही थी। देश के किसानों में आक्रोश होने के कारण विरोध हुआ। सरकार ने उसे दबाने के लिए लाठी–गोली का सहारा लिया। यथा – बाजरे की लेवी वसूली के लिए राजस्थान के जोधपुर जिले के भोपालगढ़ क्षेत्र में 1 जून 1975 को पुलिस द्वारा गोली चलाने से धोकलराम सारण, ग्राम–कुड़ी, मगनीराम गहलोत तथा नारायणराम, ग्राम– भोपालगढ़ शहीद हुए। उस समय बाजरा का प्रचलित बाजार मूल्य 60 रुपए क्विंटल था जबकि सरकार ने लेवी के लिए एक क्विंटल का मूल्य 30 रुपए ही निर्धारित किया था। यही स्थिति गेहूं की थी। समय – काल – परिस्थितियों में खाद्यान्न के भंडारण की आवश्यकता तो समझ में आ सकती है किंतु उसका भार किसानों के कंधों पर डालना निश्चित ही अन्याय कारी है। गेहूं के दाम गिराने के लिए 'सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे' लोकोक्ति को चरितार्थ करने वाली 57 वर्ष पूर्व की नीतियों का ही सरकार ने सहारा लिया।

इसी का परिणाम है कि गेहू के दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गिर गये। 12 अप्रैल तक गेहूं की खरीद 31 लाख टन हो चुकी जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 17 लाख टन से अधिक है, यानि घाटा किसानों को ही उठाना पड़ा।

–रामपाल जाट,
राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान महापंचायत

झुंझुनू नगर की स्वच्छता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा : के.के. गुप्ता

- **'झुंझुनू नगर को स्वच्छ और हरा भरा बनाकर मुख्यमंत्री के स्वच्छ राजस्थान संकल्प को पूरा करेंगे'**
- **न्याय मित्र के के गुप्ता ने झुंझुनू में जनसुनवाई की, अधिकारियों को निर्देश दिये**

झुंझुनू। झुंझुनू नगर की स्वच्छता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम सभी का सामूहिक दायित्व है कि नगर को स्वच्छ, सुंदर और हरा–भरा बनाए रखें। यह बात स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण राजस्थान सरकार के प्रदेश समन्वयक और नगर परिषद झुंझुनूं के न्याय मित्र के के गुप्ता ने गुरुवार को आयोजित की गई जनसुनवाई में व्यक्त किए। जनसुनवाई के प्रारंभ में नगर परिषद आयुक्त दिलीप पूनिया ने न्याय मित्र गुप्ता का स्वागत किया। गुप्ता ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के स्वच्छ राजस्थान के संकल्प को हमें पूरा करके दिखाना है, उसके लिए आवश्यक है कि राजस्थान प्रदेश का प्रत्येक शहर स्वच्छ और सुंदर बने इसी कड़ी में शेखावाटी अंचल का प्रमुख ऐतिहासिक और पर्यटक नगर झुंझुनू भी स्वच्छता में पीछे नहीं रहना चाहिए।

झुंझुनू विधानसभा विधायक राजेंद्र भाभू ने अपने संबोधन में कहा कि हम सभी सामूहिक प्रयास और भागीदारी के साथ झुंझुनू शहर को स्वच्छता का रोल मॉडल शहर बनाएंगे। उन्होंने कहा कि झुंझुनू को डूंगरपुर शहर जैसा स्वच्छ, हरा भरा और जल युक्त शहर बनाएंगे। झुंझुनू शहर एक प्रमुख पर्यटक नगर है और यह आने वाला हर पर्यटक अपने मन में यह छाप लेकर जाता है की उसे शहर का सौंदर्य और स्वच्छता कैसी है, जो अधिकारी और कर्मचारी लापरवाही रखेगा वह अनुशासनात्मक कार्यवाही और दंड का भागी बनेगा

न्याय मित्र गुप्ता ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो भी लापरवाही करेगा वह दंड का भागी होगा। किसी भी स्वच्छता के कार्य में लापरवाही करने वाले कर्मचारी अधिकारी के विरुद्ध किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए सभी मिलकर तालमेल से शहर को स्वच्छ सुंदर हरा–भरा बनाए। जहां भी अतिक्रमण हो रहे हैं, सड़कों पर सामान रखकर बिक्री किया जा रहा है या आवासीय परमिशन लेकर कमर्शियल निर्माण किया जा रहे हैं उन पर तुरंत अंकुश लगना चाहिए तथा उनके विरुद्ध करवाई करने के लिए निर्देशित किया।

न्याय मित्र झुंझुनू गुप्ता ने स्वच्छता को लेकर गुरुवार को जनसुनवाई की। जिसमें आम जन अतिक्रमण एवं स्वीकृति के विरुद्ध कार्य करने की शिकायतें तथा जगह–जगह गंदगी एवं सफाई नहीं होने की शिकायत की तथा कई वार्डों में लाइट लंबे समय से बंद होने की भी शिकायतें सामने आई। जगह–जगह जानवरों का सड़कों पर घूमने को लेकर भी लोग शिकायतें कर रहे थे। जनसुनवाई के दौरान कचरा उठाने वाले व्हीकल समय पर नहीं आना की बात भी कहीं, जिस पर न्याय मित्र गुप्ता ने कमिश्नर एवं अधिकारियों के साथ बैठक कर स्पष्ट शब्दों में निर्देशित किया कि यह अब चलने वाला नहीं है, मुझे न्यायालय ने नियुक्त किया है। मेरे द्वारा अथक प्रयास किया जा रहा है परंतु समय समय पर कर्मचारियों की लापरवाही से आमजन में नगर परिषद से विश्वास उठ रहा है जो किसी भी सूरत में उचित नहीं है।

जनसुनवाई के दौरान न्याय मित्र गुप्ता ने कहा कि शहर में घर–घर से कचरा नियमित उठाना चाहिए। नगर में की जाने वाली रात्रि कालीन सफाई व्यवस्था को लेकर स्पष्ट किया कि पूरे कमर्शियल एरिया के अंदर रात्रि में सफाई होनी चाहिए, क्योंकि दिन में यह सफाई संभव नहीं है। मात्र 10 कर्मचारियों से यह कार्य पूरा नहीं हो सकता है।

सामुदायिक शौचालय और मूत्रालय को लेकर सहायक अभियंता को स्पष्ट निर्देश दिए की किसी भी शौचालय मूत्रालय में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। लाइट होनी चाहिए, दिन में दो बार ढुलाई और सफाई होनी चाहिए तथा किसी भी प्रकार के कागज पोस्ट चिपके हुए नहीं होने चाहिए। सड़क पर घूमने वाले बेसहारा जानवरों को लेकर कहा कि जो सड़कों पर घूम रहे हैं वह आमजन के लिए भी खतरा है तथा गंदगी भी फैला रहे हैं। ऐसे में सभी जानवरों को गौशाला में ले जाकर छोड़ना तुरंत प्रारंभ करें। नालियों की गंदगी को लेकर निर्देश दिए कि जिन नालियों में गंदगी है, उन्हें हाई प्रेशर मशीन से साफ की जाए। जो भी लाइट सड़कों पर बंद है या कॉलोनी में बंद है 24 घंटे में लाइट चालू होनी चाहिए और उसकी रिपोर्ट मेरे द्वारा संबंधित व्यक्ति से ली जाएगी अन्यथा संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों एवं न्यायालय को लिखा जाएगा।

न्याय मित्र गुप्ता ने रानी सती दादी के मंदिर का भी निरीक्षण किया। जहां पर बाहर बनी नालियों में गंदगी पाई गई संबंधित कर्मचारियों को कहा कि यह तत्काल साफ किया जाए। जल को लेकर भी गुप्ता ने कहा कि कोई भी तालाब जो शहर में है गंदा है, उसकी सफाई करवाई जावे उसके पानी के आने के रास्ते खुलवाएं तथा उसे गहरा करवा कर जल संचय के लिए वाटर हार्वेस्टिंग हर घर में अनिवार्य रूप से लगवाएं। न्याय मित्र गुप्ता ने नगर परिषद आयुक्त को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पिछली जितनी भी पुरानी शिकायते प्राप्त हुई है उन सभी का आगामी 24 घंटे के अंदर निस्तारण करें और इसकी रिपोर्ट प्रेषित की जाए।

सूरौठ को पंचायत समिति का दर्जा देने की मांग

करौली, (निसं)। करौली जिले में सूरौठ को पंचायत समिति का दर्जा देने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि शेरपुर के स्थान पर सूरौठ को पंचायत समिति बनाया जाना चाहिए, क्योंकि सूरौठ क्षेत्र में सभी आवश्यक सुविधाएं और जनसंख्या के लिहाज से भी अधिक उपयुक्त है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर सूरौठ को पंचायत समिति बनाने कि मांग की है। वहीं कार्यवाही नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।

सूरौठ तहसील क्षेत्र से आए सैकड़ों लोगों ने करौली कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया है कि जिला प्रशासन की ओर से सात अप्रैल को शेरपुर को नवीन पंचायत समिति बनाए जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है, जबकि यह सूरौठ और आसपास की जनता के साथ अन्याय है। सूरौठ करौली जिले की सबसे बड़ी पंचायत है और कई वर्षो से तहसील मुख्यालय भी है। वर्तमान में सूरौठ की जनसंख्या लगभग 25,000 है, जबकि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यह 13,780 थी। वहीं, शेरपुर की जनसंख्या मात्र 4,817 है, जो वर्तमान में सूरौठ तहसील की ही उप–तहसील है। ग्रामीणों ने बताया कि प्रस्तावित 25 पंचायतों में से 16 पंचायतें हिंडौन विधानसभा और 9 पंचायतें करौली विधानसभा क्षेत्र में आती हैं। सूरौठ में दिल्ली–मुंबई स्टेट हाईवे, बड़ी रेल लाइन, तहसील मुख्यालय, पुलिस थाना, पुलिस चौकी, विद्युत कार्यालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, आयुर्वेद चिकित्सालय, राष्ट्रीयकृत बैंक, महाविद्यालय, माध्यमिक विद्यालय सहित कई विभागों के कार्यालय हैं। कस्बे के आसपास आठ किलोमीटर के दायरे में लगभग 25 पंचायतों के 50 राजस्व गांव हैं, जिनके हजारों लोग अपने सरकारी और निजी कार्यों से प्रतिदिन सूरौठ आते हैं। ग्रामीणों ने मांग की कि शेरपुर के लिए भेजा गया प्रस्ताव निरस्त किया जाए और सूरौठ को पंचायत समिति का दर्जा देने की मांग है।

राशिफल शुक्रवार 18 अप्रैल, 2025

पंडित अनिल शर्मा

वैशाख मास, कृष्ण पक्ष, पंचमी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2082, ज्येष्ठा नक्षत्र प्रात: 8:21 तक, परिद्य योग रात्रि 1:03 तक, तैतिल करण सायं 5:08 तक, चन्द्रमा आज प्रात: 8:21 से धनु राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य–मेष, चन्द्रमा–वृश्चिक, मंगल–कर्क, बुध–मीन, गुरू–वृष, शुक्र–मीन, शनि–मीन, राहु–मीन, केतु–कन्या राशि में।

कुमार योग प्रात: 8:21 से सूर्योदय तक है। आज गुड फ्राइडे है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 7:40 तक, लाभ–अमृत 7:40 से 10:31 तक, शुभ 10:6 से 2:02 तक, चर 5:13 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 1:00 तक। सूर्योदय 6:04, सूर्यास्त 6:48

मेष

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। धार्मिक–मांगलिक कार्य के लिए यात्रा संभव है।

वृष

अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। मित्रों/रिश्तेदारों से मतभेद हो सकते हैं। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। आज यात्रा टालना ठीक रहेगा।

मिथुन

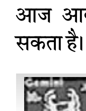

व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। व्यावसायिक सुविधाएं बढ़ेगी। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है।

कर्क

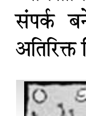

व्यक्तिगत परेशानियां दूर होने लगेगी। मन का भय दूर होगा। दिनचर्या व्यवस्थित होने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। धार्मिक–मांगलिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।

सिंह

नौकरीपेशा व्यक्तियों को उच्चाधिकारियों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। व्यावसायिक मामलों में दुविधा बनी रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

कन्या

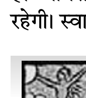

घर–परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में सुख–सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

तुला

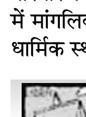

व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आज परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे।

वृश्चिक

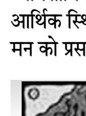

व्यावसायिक कार्यों से संबंधित अड़चनें दूर होने लगेंगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ से राहत मिलेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में शुभ कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

धनु

घर–परिवार में सुख–सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में धार्मिक–सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

मकर

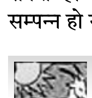

घर–गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। आज अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। मन में असंतोष बना रहेगा।

कुंभ

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। व्यावसायिक योजना का क्रियान्वयन होगा। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

मीन

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक आ रही परेशानियां दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।